रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--25 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20092025-266260
CG-DL-W-20092025-266260

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20—सितम्बर 26, 2025 (भाद्रपद 29, 1947)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2025 (BHADRA 29, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	435
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	915
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	4475
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	2975
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	4825
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	435
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	915
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4475
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2975
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4825
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2025

संकल्प

सं. ई 11011/1/2020-हिंदी—ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 01 फरवरी, 2022 के संकल्प सं. ई. 11011/1/2020-हिंदी के अधिक्रमण में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्न प्रकार होंगे:—

(1) संरचना

ग्रामीण विकास मंत्री	अध्यक्ष
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

1.	श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: 285, चंद्रशेखर आजाद मार्ग, अलीराजपुर, रतलाम, मध्य प्रदेश-457887 वर्तमान पता: फ्लेट नं. 402, कावेरी अपार्टमेंट, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, मो. नं. 9425943100	सदस्य
2.	श्री धर्मबीर सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: आवास सं. 200/बी, विद्यानगर, मेहम रोड, भिवानी, हरियाणा-127021 दूरभाष : (01664) 244568, 09416206678, 09855507027 (मो. नं.), 9013869145 वर्तमान पता: 7, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : (011) 23782527, 09013869145 (मो. नं.), टेलिफैक्स : (011) 23782867	सदस्य
3.	श्रीमती किरण चौधरी, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: वार्ड नं. 25, विजय नगर, हांसी गेट, भिवानी, हरियाणा-127021 दूरभाष : 20841038, मो. नं. 9467940512 वर्तमान पता: 116, सुंदर नगर, नई दिल्ली-110003, टेलीफोन-24356347	सदस्य
4.	डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: अमृतपथ अस्पताल, डॉक्टर लेन, निकट रेलवे स्टेशन नांदेड़-431601, वर्तमान पता: फ्लेट न. 201, बह्मपुत्र कॉम्पलेक्स, डी.बी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 7798484618	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य

5.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: राजमहल, डाकघर नरेन्द्र नगर टिहरी, गढ़वाल-249175 उत्तराखंड, दूरभाष: (0135) 2747700 टेलिफैक्स: (0135) 2749880, मो.नं. 09811670271 वर्तमान पता- टिहरी गढ़वाल हाउस, 5, भगवानदास रोड, नई दिल्ली - 110 001 दूरभाष : (011) 23782818, 23782816, मो.नं. 09811670271 फैक्स : (011) 23782815	सदस्य
6.	श्री कल्याण बनर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता- 37सी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700026, दूरभाष : (033) 24546161 मो.नं. 09013180097, 09830035733, 09432671301 वर्तमान पता- बंगला सं. 7, डूप्लेक्स, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110001 दूरभाष : (011) 23782090, मो.नं. 09013180097	

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

7.	डॉ. नरेन्द्र कुमार संत पता: 26/451, त्रिलोकपुरी, दिल्ली-110091 (मों.न. 9891921365)	सदस्य
8.	श्रीमती डॉ. कैथी रोहलुपुई, पता: सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, आइजोल कॉलेज, आइजोल, मिजोरम, (मो.नं. 9862382550)	सदस्य
9.	श्री ए. सुरेश कुमार पता: साधना, 73/ सी-ए, चौलाराजापुरम सल्लाय, पोस्ट वरयूर, तिरुच्चिराप्पल्लि, तमिलनाडु, (मो.नं. 9442601600)	सदस्य
10.	एडवोकेट डॉ. बी.मधु, पता: टी.सी, 18/851-1, ऐश्वर्या, पोस्ट-अरामडा, तिरुवनंतपुरम, केरल, (मो.नं. 9446458256)	सदस्य

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित सदस्य

11.	श्री देवी प्रसाद मिश्र पता: प्लाट संख्या 135, फ्लैट एस-3, राधे श्याम पार्क, सैक्टर 5, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद-201005 (मो. न. 9312134004) ईमेल-dpmishra396kg@gmail.com	सदस्य

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित

12.	श्री इंद्रकुमार जैन पता: बी-303 रुनावल टावर कोलवार, ठाणे (पश्चिम)-400601, मो.नं. 9833451299 राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
13.	श्रीमती मीनाक्षी निथिसुंदर पता: 6/2ए पेरिअलवाल स्ट्रीट, पूर्वी तामबरम, चेन्नई-600059 मो.नं. 9841226000	सदस्य
14.	श्री गिरीशचंद्र उपाध्याय, पता: सेक्टर-3, एचआईजी-2/2, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर-492010, मो. 9425212720	सदस्य

15.	श्री रजनीश मोहनोत, पता: लेन नं.-4, प्लॉट नं.-51, श्याम नगर, पाल लिंक रोड, जोधपुर, राजस्थान, मो. 9829026945	सदस्य

समिति के पदेन सदस्य

16.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
17.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
18.	सचिव, भूमि संसाधन विभाग	सदस्य
19.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग	सदस्य
20.	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
21.	अपर सचिव, भूमि संसाधन विभाग	सदस्य
22.	अपर महानिदेशक, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
23.	सभी संयुक्त सचिव और उप महानिदेशक, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
24.	सभी संयुक्त सचिव और उप महानिदेशक, भूमि संसाधन विभाग	सदस्य
25.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी	सदस्य
26.	महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद	सदस्य
27.	महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली	सदस्य
28.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन	सदस्य
29.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
30.	संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य सचिव

2. समिति के कार्य

समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करना और हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्य काल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्यत: 3 वर्ष का होगा किंतु:—

क. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।

ख. समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

ग. समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण, रिक्त हुए स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

घ. विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल मंत्रालय द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन आवश्यक होने पर समिति की बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है।

5. यात्रा/दैनिक भत्ता तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं.11/20034/4/86 राजभाषा (नी-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी समिति सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

लाल छन्दामा
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 2025

संकल्प

सं. हिन्दी/समिति/2025/38/2—रेल मंत्रालय के दिनांक 07.11.2024 के संकल्प सं.हिन्दी/समिति/2024/38/5 के अंतर्गत रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के भंग होने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तारीख से इस समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है। पुनर्गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :—

I. गठन

1.	श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री वी. सोमन्ना, रेल राज्य मंत्री (एस)	उपाध्यक्ष
3.	श्री रवनीत सिंह, रेल राज्य मंत्री (आर)	उपाध्यक्ष

II. गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

4.	श्री योगेन्द्र चांदोलिया, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री राजकुमार चाहर, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
6.	श्री ईरण्ण कडाडी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
7.	श्री केसरीदेवसिंह झाला, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य

III. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

8.	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
9.	श्री उज्जवल रमण सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य

IV. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज द्वारा नामित

10.	श्री कुन्तक मिश्र	सदस्य

V. विश्व हिन्दी परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित

11.	डॉ. अरुण कुमार, पूर्व सांसद	सदस्य

VI. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित

12.	डॉ. चित्त रंजन कर	सदस्य
13.	श्रीमती संध्या लाल	सदस्य
14.	श्री निशांत कुमार सिंह	सदस्य

VII. माननीय रेल मंत्री जी द्वारा नामित

15.	श्री जयराम विप्लव	सदस्य
16.	डॉ. वीरेन्द्र सिंह चौहान	सदस्य
17.	श्रीमती राखी राठौड़	सदस्य

18.	श्री हिमांशु दुबे	सदस्य
VIII. सरकारी सदस्य		
19.	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड	सदस्य
20.	सदस्य (वित्त)	सदस्य
21.	सदस्य (अवसंरचना)	सदस्य
22.	सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक)	सदस्य
23.	सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	सदस्य
24.	महानिदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य
25.	महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएं)	सदस्य
26.	महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल)	सदस्य
27.	महानिदेशक (संरक्षा)	सदस्य
28.	अपर सदस्य, मानव संसाधन / कार्मिक	सदस्य
29.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
30.	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का एक और प्रतिनिधि	सदस्य
31.	सचिव, रेलवे बोर्ड	सदस्य
32.	कार्यपालक निदेशक, स्थापना (श्रम कानून)	सदस्य
33.	निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

2. समिति के कार्य

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के बारे में की गई व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केंद्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन और रेल मंत्रालय एवं उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. समिति का कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल, इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा। जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे सदन के भंग होने अथवा अपना कार्यकाल समाप्त होने पर या अन्यथा सदन का सदस्य नहीं रहने पर, इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। इस समिति में कोई स्थान खाली होने पर, यदि किसी व्यक्ति को सदस्य नामित किया गया तो वह शेष अवधि के लिए सदस्य बने रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में, इस समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. यात्रा तथा अन्य भत्ते

इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को रेलवे बोर्ड के दिनांक 09/08/2016 के पत्र सं हिन्दी/समिति/2015/38/2 में निहित एवं समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप वाहन और दैनिक भत्ता दिया जाएगा तथा यात्रा के लिए रेलवे चैक पास जारी किए जाएंगे। ये रेलवे चैक पास गैर-सरकारी सदस्यों के निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से बैठक के स्थान तक प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में उसी श्रेणी में सहचर सहित आने-जाने की यात्रा के लिए जारी किए जाएंगे। ये रेलवे चैक पास राजधानी तथा शताब्दी गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित तथा कुर्सीयान में सहचर सहित यात्रा के लिए भी मान्य होंगे।

5. सामान्य

इस समिति का मुख्यालय रेल भवन, नई दिल्ली में होगा तथा समिति की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। (प्राधिकार: गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 21 जनवरी, 2019 का पत्र सं.14013/01/2019-राभा(नीति))

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति इस समिति के सभी सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अरुणा नायर
सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th August 2025

RESOLUTION

No. E-11011/1/2020-Hindi—In supersession of Resolution No. E-11011/1/2020-Hindi, dated 01 February 2022, issued by the Ministry of Rural Development, the Government of India, has decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Rural Development. The composition and the functions of the Samiti will be as follows:—

(1) COMPOSITION

	Minister of Rural Development	Chairman
	Minister of State for Rural Development,	Vice-Chairman
	Minister of State for Rural Development,	Vice-Chairman
	Non-Official Members	
	Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs	
1.	Smt. Anita Nagarsingh Chouhan, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: 285, Chandrashekhar Azad Marg, Alirajpur, Ratlam, Madhya Pradesh 457887, Present Address:- Flat no. 402, Kaveri Apartment, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001 Mobile No. 9425943100	Member
2.	Shri Dharambir Singh, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: Residence No. 200/B, Vidya Nagar, Meham Road, Bhiwani, Haryana 127021 Tel: (01664) 244568, 09416206678, 09855507027 (Mobile No.), 9013869145 Present Address: 7, Ferozshah Road, New Delhi-110001 Tel: (011) 23782527, 09013869145 (Mobile No.), Telefax: (011) 23782867	Member
3.	Mrs. Kiran Choudhary, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address: Ward No. 25, Vijay Nagar, Hansi Gate, Bhiwani, Haryana 127021 Tel.-20841038, Mobile No.9467940512 Present Address: 116, Sunder Nagar, New Delhi- 110003, Tel-24356347	Member
4.	Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address: Amrutapath Hospital, Doctor Lane, Near Railway Station, Nanded 431601, Present Address:- Flat no. 201, Brahmaputra Complex, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110011 Tel.-7798484618	Member
	Nominated by the Parliamentary Committee on Official Language	
5.	Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: Raj Mahal, Post Office Narendra Nagar Tehri, Garhwal-249175 Uttarakhand Phone: (0135) 2747700, Telefax: (0135) 2749880, Mobile No. 09811670271 Present Address: Tehri Garhwal House, 5, Bhagwan Das Road, New Delhi - 110001 Phone: (011) 23782818, 23782816, Mobile No. 09811670271 Fax: (011) 23782815	Member
6.	Shri Kalyan Banerjee, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: 37C, Harish Chatterjee Street, Kolkata, West Bengal 700026 Tel :(033) 24546161 Mobile No. 09013180097, 09830035733, 09432671301 Present Address- Bungalow No. 7, Duplex North Avenue, New Delhi New Delhi NCT of Delhi 110001 Tel: (011) 23782090, Mobile No. 09013180097	Member

Nominated by the Ministry of Rural Development

7.	Dr. Narendra Kumar Sant Address: 26/451, Trilokpuri, Delhi 110091 (Mobile No. 9891921365)	Member
8.	Mrs. Dr. Kathy Rohlupuii, Address: Assistant Professor, Hindi Department, Aizawl College, Aizawl, Mizoram, (Mobile No.9862382550)	Member
9.	Mr. A. Suresh Kumar Address: Sadhana, 73 C-A, Choularajapuram Sallay, Post Warrayur, Tiruchirapalli, Tamil Nadu (Mobile No. 9442601600)	Member
10.	Advocate Dr. B. Madhu Address: T. C, 18/851-1, Aishwarya, Post- Aramada, Thiruvananthapuram, Kerala, (Mobile No.9446458256)	Member

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

11.	Shri Devi Prasad Mishra Address: Plot No. 135, Flat S-3, Radhey Syam Park, Sector 5, Rajendra Nagar, Sahibabad-201005 (Mobile No. 9312134004) Email-dpmishra396kg@gmail.com	Member

Nominated by Rashtrabhasa Prachar Samiti, Vardha

12.	Shri Indrakumar Jain B-303 Runawal Tower Kolwar, Thane (West), 400601, Mobile No. 9833451299	Member

Nominated by the Department of Official Language

13.	Mrs. Meenakshi Nithisundar Address: 6/2A Perialwal Street, Eastern Tambaram, Chennai -600059. Mobile No. 9841226000	Member
14.	Shri Girishchandra Upadhyay, Address: Sector-3, HIG-2/2, Deendayal Upadhyay Nagar, Raipur-492010, Mob.-9425212720	Member
15.	Mr. Rajneesh Mohanot, Address: Lane No.-4, Plot No.-51, Shyam Nagar, Pal Link Road, Jodhpur Rajasthan, Mob.-9829026945	Member

Ex-officio Members

16.	Secretary, Department of Official Language	Member
17.	Secretary, Department of Rural Development	Member
18.	Secretary, Department of Land Resources	Member
19.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Rural Development & Land Resources	Member
20.	Additional Secretary, Department of Rural Development Member	Member
21.	Additional Secretary, Department of Land Resources	Member
22.	Additional Director General of the Ministry of Rural Development	Member
23.	All Joint Secretaries and DDGs of the Ministry of Rural Development	Member
24.	All Joint Secretaries and DDG of the Department of Land Resources	Member
25.	Chief Executive Officer, National Rural Livelihoods Promotion Society	Member
26.	Director General, National Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Hyderabad	Member
27.	Director General, National Rural Infrastructure Development Agency	Member
28.	Chief Executive Officer, Bharat Rural Livelihoods Foundation	Member

29.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
30.	Joint Secretary (Administration), Ministry of Rural Development	Member Secretary

2. Functions of the Committee

The function of the Committee will be to render advice to the Ministry of Rural Development on the implementation of various provisions related to Official Language contained in the Constitution, Official Language Act/Rules, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) in this regard and on the matters related to progressive use of Hindi for Official purposes.

3. Tenure.

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its constitution, provided that: -

a. Member of Parliament who is a member of the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

b. Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold offices by virtue of which they are members of the Samiti.

c. If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc., of a member, the member so nominated in that capacity shall hold office for the residual term of the Samiti.

d. Tenure of the Committee can be extended or curtailed in special circumstances.

4. General

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also.

5. Travelling & Other Allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of Hindi Salahkar Samiti as per guidelines contained in O.M. No.11/20034/4/86-OL (P-2) dated 22 January, 1987 of the Department of Official Language and according to the rules and rates as amended by the Govt. of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, the President's Secretariat, the Vice President's Secretariat, all the Ministries and Departments of the Government of India, the Prime Minister's Office, the Cabinet Secretariat, the Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, the Parliamentary Committee on Official Language, the Comptroller and Auditor General of India and the Pay & Accounts Office of the Ministry of Rural Development and all attached/subordinate offices/autonomous organizations under its control.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for the general public information.

LAL CHHANDAMA
Joint Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 1st September 2025

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/2025/38/2—After dissolving the Railway Hindi Salahakar Committee vide Ministry of Railway's resolution No. Hindi/Samiti/2024/38/5 dated 07.11.2024, Government of India have decided to reconstitute the same w.e.f. the date of issue of this resolution. The composition of the reconstituted Railway Hindi Salahkar Committee will be as under:—

I. Composition

1. Shri Ashwini Vaishnaw, Minister for Railways	Chairman
2. Shri V.Somanna, Minister of State for Railways (S)	Dy. Chairman
3. Shri. Ravneet Singh, Minister of State for Railways (R)	Dy. Chairman

II. Non-Official Members

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

4. Shri Yogender Chandolia, MP (Lok Sabha)	Member

5. Shri Rajkumar Chahar, MP (Lok Sabha)	Member
6. Shri Iranna Kadadi, MP (Rajya Sabha)	Member
7. Shri. Kesaridevsinh Jhala, MP (Rajya Sabha)	Member
III. Nominated by the Parliamentary Committee on Official Language	
8. Shri Bhartruhari Mahtab, MP (Lok Sabha)	Member
9. Shri Ujjwal Raman Singh, MP (Lok Sabha)	Member
IV. Nominated by Hindi Sahitya Sammelan, Prayagraj	
10. Shri. Kuntak Mishra	Member
V. Nominated by Vishwa Hindi Parishad, New Delhi	
11. Dr. Arun Kumar, Ex. MP	Member
VI. Nominated by the Deptt. of Official Language, M/o Home Affairs	
12. Dr. Chit Ranjan Kar	Member
13. Smt. Sandhya Lall	Member
14. Shri Nishant Kumar Singh	Member
VII. Nominated by the Hon'ble Minister for Railways	
15. Shri Jayram Viplav	Member
16. Dr. Virender Singh Chauhan	Member
17. Smt. Rakhee Rathore	Member
18. Shri Himanshu Dubey	Member
VIII. Official Members	
19. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board	Member
20. Member (Finance)	Member
21. Member (Infrastructure)	Member
22. Member (Traction and Rolling Stock)	Member
23. Member (Operation and Business Development)	Member
24. Director General (Human Resource)	Member
25. Director General (Railway Health Services)	Member
26. Director General (Railway Protection Force)	Member
27. Director General (Safety)	Member
28. Additional Member, Human Resources/Staff	Member
29. Secretary, Department of OL, M/o Home Affairs	Member
30. Another representative of Deptt. of OL, M/o Home Affairs	Membe
31. Secretary, Railway Board	Member
32. Executive Director, Esstt. (LL)	Member
33. Director (Official Language)	Member Secretary

II. Functions of the Committee

The functions of the Committee will be the implementation of the Official Language Policy as envisaged in the Constitution of India, Official Language Act & the Rules made thereunder, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the M/o Home Affairs (Department of Official Language) and also to render advice to increase the use of Hindi in the working of the Ministry of Railways and in its Attached and Subordinate offices.

III. Tenure of the Committee

The tenure of the Committee will be for three years from the date of its constitution. The members of the parliament, who are members of the Committee, shall cease to be member of the Committee on the dissolution of the House or on expiry of their term or otherwise ceasing to be members of the House. If a vacancy arises in the Committee, the member nominated against that vacancy shall hold office for the remaining period. Under Special Circumstances, the tenure of the Committee may be curtailed or extended.

IV. Travelling and other allowances

For attending the meetings of the Committee, payment of Transport and Daily Allowance to the Non-Official Members will be governed by the guidelines issued vide Railway Board's letter No. Hindi/Samiti/2015/38/2 dated 09.08.2016 and directions issued from time to time in this regard and Railway cheque pass for conducting journey will also be issued. These Railway cheque Passes will be issued to the non-official members of Railway Hindi Salahakar Samiti from the nearest railway station of the residence to the place of meeting for travel in First Class/IInd AC with Companion in the same Class for to and fro journey. These railway cheque passes will also be valid in IInd AC and Chair Car of Rajdhani and Shatabdi trains with companion.

V. General

The Headquarters of the Committee shall be at Rail Bhavan, New Delhi and the meetings of this Committee will be conducted at New Delhi. (Authority: M/O Home Affairs, Department of Official Language letter No. 14013/01/2019-OL(Policy) dated 21, Jan, 2019).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of this committee, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ARUNA NAYAR
Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

KSHITIZ MOHAN Digitally signed by KSHITIZ MOHAN Date: 2025.09.20 08:57:22 +05'30'